संख्या– 6–ई. एम. /2000–का–4–2003

प्रेषक,

भुइयाँदीन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4, लखनऊ : दिनाँक 05 मई , 2003

विषय:– राजकीय वाहन चालक महासंघ, उ0प्र0 के वार्षिक अधिवेशन हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाना ।

महोदय,

राजकीय वाहन चालक महासंघ के दिनाँक 09 मई, 2003 को आहूत वार्षिक अधिवेशन हेतु शासन द्वारा विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।

2. उपर्युक्त के संबंध में आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है, कि उक्त अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को दिनाँक 08 मई, 2003 के अपरान्ह से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करते हुए, दिनाँक 09 मई, 2003 का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

भुइयाँदीन
विशेष सचिव ।

संख्या–6–ई. एम. /2000 (1)–का–4–2003, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. महामंत्री, राजकीय वाहन चालक महासंघ, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

भुइयाँदीन
विशेष सचिव ।